निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

23 आषाढ़ 1939 (श0)

(सं0 पटना 604) पटना, शुक्रवार, 14 जुलाई 2017

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

12 जून 2017

संख्या 22/नि0सि0(पट0)–03–18/2005–891—श्री सत्यनारायण, तत्कालीन मुख्य अभियंता (अतिरिक्त प्रभार) सम्प्रति सेवानिवृत जल विज्ञान एवं योजना आयोजन, पटना में पदस्थापन अवधि में बरती गई कदाचार, अनियमितता, जानबूझकर कनीय अभियंताओं के हड़ताल अवधि में अपने कार्यालय में वेतन भुगतान बन्द कर देने आदि सरकारी कार्यों को कुप्रभावित करने की मंशा एवं बाद में अपने कृत्यों पर पर्दा डालने के लिए झूठे कागजातों को तैयार करने आदि प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए इनके विरूद्ध सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम 55 के तहत विभागीय संकल्प ज्ञाप सं० 1490, दिनांक 30.11.2005 द्वारा कार्यवाही प्रारंभ की गई। समीक्षोपरांत उनके विरूद्ध पाए गए कतिपय आरोपों के लिए सरकार द्वारा श्री सत्यनारायण को निम्न दंड संसूचित करने का निर्णय लिया गया है :–

(1) अधीक्षण अभियंता के सम्पुष्ट पद से कार्यपालक अभियंता के पद पर पदावनति।

उपरोक्त प्रमाणित आरोपों के लिए श्री सत्यनारायण, तत्कालीन मुख्य अभियंता (अतिरिक्त प्रभार) जल विज्ञान एवं योजना आयोजन पटना से विभागीय पत्रांक–290, दिनांक 23.03.2006 द्वारा संचालन पदाधिकारीसे प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न करते हुए द्वितीय कारणपृच्छा की गई, कि अधीक्षण अभियंता के सम्पुष्ट पद से कार्यपालक अभियंता के पद पर क्यों नहीं पदावनति कर दिया जाए। उनके द्वारा प्राप्त कराए गए द्वितीय कारणपृच्छा की समीक्षा सरकार की स्तर पर की गई। समीक्षोपरांत जवाब में कोई नया तथ्य नहीं समर्पित करने के फलस्वरूप विभागीय पत्रांक–174, दिनांक 01.03.2007 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग की सम्पुष्टि हेतु भेजी गई जिसके क्रम में

बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने पत्रांक–1103, दिनांक 25.09.2007 द्वारा सरकार के निर्णय से असहमति व्यक्त की गई। बिहार लोक सेवा आयोग के असहमति के बावजूद भी श्री सत्यनारायण को अधीक्षण अभियंता के सम्पुष्ट पद से कार्यपालक अभियंता के पद पर पदावनत करने के निर्णय पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

वर्णित स्थिति में अधिसूचना सं०–670, दिनांक 14.08.2008 द्वारा अभियंता, जल विज्ञान एवं योजना आयोजन, जल संसाधन विभाग को अधीक्षण अभियंता (नियमित) के पद से कार्यपालक अभियंता (नियमित) के पद पर पदावनत करने का निर्णय लिया गया।

उक्त दण्डादेश के विरूद्ध श्री सत्यनारायण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–13644/2008 दायर किया गया। उक्त याचिका में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा निम्न न्याय निर्णय पारित किया गया।

"I find that annexure-12 (अधिसूचना सं0 670, दिनांक 14.08.2008) is illegal and not sustainable in the eye of law. Accordingly, the same is set aside. The matter is remitted to the department to proceed afresh in accordance with the law".

उक्त सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–13644/2008 में पारित न्याय निर्णय के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं० 670, दिनांक 14.08.2008 द्वारा निर्गत दंडादेश को निरस्त किया जाता है।

साथ ही माननीय उच्च न्यायालय के उक्त न्याय निर्णय के आलोक में पुनर्विचार कर अलग से निर्णय लिया जा रहा है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राकेश मोहन,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 604–571+10–**डी0टी0पी0।**
Website: http://egazette.bih.nic.in